

11/12/24

अभिलेख उपलब्ध किया गया।

आवेदक सीएलएस पहले उपाध्यक्ष है।

आवेदक द्वारा खनिधान, खारा संख्या - 38 जो  
वहना कुरमी के नाम से है तथा लगान खीद  
सं० 297/552, वर्ष 2005-06, जो मौजा - नरा  
के टनह मद्रो के नाम से निर्गत है तथा  
उक्त लगान खीद में खारा सं० 38 अंकित है।  
प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के आवेदन पर संबंधित रा० उप०  
निरीक्षक - स० - अंचल निरीक्षक का जौन प्रविदेन  
प्राप्त है, राजस्व उप निरीक्षक - स० - अंचल निरीक्षक  
ने अपने जौच प्रविदेन में प्रविदेन किया है कि  
आवेदक के मोजा - नरा के खारा सं० 38 फॉर से  
1865 एवं अन्य रकमा 9.92 रु० रैमती खारे की  
भूक्ति है। मोरिड पंजी - II के धाढ से 149/1 प  
जमावदी के सेक लगान खीद निर्गत होता है।  
Online के पंजी - II में <sup>खारा सं०</sup> 38 के जगह प खारा सं०  
32 हो गया है। राजस्व उप० नि० तथा अ० नि० द्वारा  
उक्त ~~Online~~ पंजी - II में खारा सं० 32 के जगह  
38 करने की अनुमति किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा रा० उप०  
निरीक्षक तथा अ० निरीक्षक के जौच प्रविदेन तथा  
अनुमति के आदेश में उक्त भूक्ति के Online  
पंजी - II में खारा सं० 32 के जगह 38 करने का  
आदेश पाला किया जाता है। उक्त आदेश का  
अनुपालन हेतु रा० उप० नि० तथा अ० नि० निरीक्षक को  
आदेश दे। अभिलेख की कोटिई समाप्त की जाती है।

12/12/24  
R.S.T.